संख्या:737/2023/2066/35-4-2023/001-35-4099/108/2022

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 27 जुलाई,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के क्रम में जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र महसी, के भिरवा, महसी में पॉलीटेक्निक भवन निर्माण " कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-12 / 2020/251/35-4- 2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुए हुए भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1821.43 लाख (+ जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त में रू0 200.00 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या-143/2021/1425/35-4-2021, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 710.72 लाख की धनराशि तथा शासनादेश शासनादेश संख्या-370/2022/1368/35-4-2022/001-35-4099/ 108/2022, दिनांक 07 नवम्बर,2022 द्वारा द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 552.93 (जिसमें रूपये 97.57 लाख जी0एस0टी0 की धनराशि भी शामिल शामिल है) लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अब तक कुल 1463.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक-202/त्व0आ0वि0यो0/2020-21, दिनांक 11 जुलाई, 2023 2023 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1821.43 लाख के सापेक्ष सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 1463.65 लाख का शत प्रतिशत उपभोग किया जाना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि के भुगतान का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए एवं नियमानुसार 5% की धनराशि बकाया रखते हुए हुए चतुर्थ किश्त में अनुमन्य रू. 266.71 लाख (रूपये दो करोड़ छियासठ लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय पॉलीटेक्निक भिरवा, महसी, बहराइच	1821.43	1463.65	266.71

1- सन्दर्भित शासनादेश दिं0 17 फरवरी, 2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 एवं दिनांक 07 नवम्बर, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 2,66,71,000/- (रूपये दो करोड़ छियासठ लाख इकहत्तर हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4202021040302 राजकीय पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

संख्या:737/2023/2066(1)/35-4-2023/001-35-4099/108/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वैश्रैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच।
14- इकाई प्रभारी, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, बहराइच।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।